भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2310
25 अप्रैल, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

ऋणमुक्ति योजना से लाभान्वित होने वाले झारखंड के बुनकर

2310. श्री धीरज प्रसाद साहू:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड सरकार केन्द्र सरकार के बुनकरों के लिए चलाए गए ऋणमुक्ति कार्यक्रम का लाभ उठाने में सक्रिय नहीं रही है;

(ख) क्या इसके कारण झारखंड के बुनकरों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इसके द्वारा घोषित लाभों का झारखंड के बुनकरों द्वारा पूरा लाभ उठाया जाना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए है; और

(घ) यदि हां, तो झारखंड के कितने बुनकर लाभान्वित होंगे, प्राप्त की जाने वाली औसत वित्तीय सहायता राशि कितनी है और वित्तीय सहायता की समाप्ति की समय-सीमा क्या है ?

उत्तर

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी)

(क) और (ख): जी नहीं ।

(ग) वित्तीय पैकेज से संबंधित कार्यान्वयन दिशा-निर्देश दिनांक 28 नवम्बर, 2011 को राज्य सरकारों और बैंकों को भेज दिए गए हैं । सभी राज्य सरकारों और बैंकों के साथ परामर्शदात्री बैठक दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को हुई । योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर की कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा समिति (एनआईएमआरसी) का गठन किया गया है जिसकी अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं (26.12.2011; 4.1.2012; 16.2.2012 और 18.4.2012) ताकि परिचालनात्मक ब्यौरे को अंतिम रुप दिया जा सके । नाबार्ड ने शीर्ष/प्राथमिक बुनकर समितियों

की विशेष लेखा परीक्षा करने के लिए नियमावली तैयार की है । प्रिंट मीडिया में क्षेत्रीय भाषाओं में तीन विज्ञापन अभियान चलाए गए हैं । इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में अब तक 636 विशेष जागरुकता शिविर आयोजित किए जा चुके हैं । राज्य का हिस्सा देने और कानूनी तथा संस्थागत सुधार करने के लिए झारखंड सहित 22 राज्य सरकारों से प्रतिबद्धता पत्र प्राप्त हो चुके हैं ।

(घ) ऋण माफ करने सहित उक्त योजना के तहत लाभ प्रदान करने के मानदंडों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(i) इस योजना के तहत सभी अर्थक्षम और संभावित रुप से अर्थक्षम प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां और राज्य स्तरीय शीर्ष समितियां लाभान्वित होंगी । " अर्थक्षम" और " संभावित रुप से अर्थक्षम" समितियों की परिभाषा अनुलग्नक-I में दी गई है । तथापि, धोखाधड़ी और गबन की राशियों तथा सब्सिडी आदि देय तो है लेकिन सरकार द्वारा इन राशियों का भुगतान इन संगठनों को नहीं किया गया है, उन राशियों का भुगतान इस योजना के तहत नहीं किया जाएगा ।

(ii) इसके अलावा, जिन हथकरघा बुनकरों, बुनकर उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त जबावदेह समूहों ने हथकरघा बुनकरी के प्रयोजनार्थ ऋण लिए हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। ऐसे मामलों में प्रति लाभार्थी माफी की अधिकतम सीमा समग्र रुप से 50,000/-रुपये होगी ।

(iii) व्यक्तिगत बुनकरों और उनके स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों आदि के संबंध में मूलधन का 100% और अनुपयोज्य (एनपीए) हुए ऋण की तारीख से ब्याज की 25% राशि तथा दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार अतिदेय राशि की वापसी अदायगी करने के लिए योजना के तहत निधियां प्रदान की जाएंगी । शेष ब्याज और दंडात्मक ब्याज की राशि, संबंधित बैंकों द्वारा पूर्व शर्त के रुप में माफ की जाएगी।

उपर्युक्त शर्तो को पूरा करने वाली सभी पात्र हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां और व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर, जिनमें झारखंड राज्य के बुनकर भी शामिल हैं, इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे ।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए जाने और निधियां प्रदान किए जाने के अध्यधीन संपूर्ण पैकेज को दिनांक 31.12.2012 तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ।

<u>अनुलग्नक</u>

दिनांक 25.4.2012 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2310 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

बुनकरों की " अर्थक्षम" और " संभावित रुप से अर्थक्षम"सहकारी समितियों की परिभाषा

(क) अर्थक्षम सहकारी समितियां

- विगत 3 वर्षों के दौरान क्षमता उपयोग का स्तर, परिचालन के समतुल्य या आर्थिक स्तर से अधिक (लाभ-अलाभ स्तर) होना चाहिए।
- निवल प्रयोज्य वित्तीय संसाधन (एनडीआर) और निवल संपत्ति सकारात्मक होनी चाहिए ।
- विगत 3 वर्षों में बिक्री, औसत उत्पादन का कम से कम 75% तक होनी चाहिए।
- कार्यशील पूंजी/नकदी ऋण सीमा,वर्ष में कम से कम दो बार रोटेट की जानी चाहिए ।

(ख) " संभावित रुप से अर्थक्षम" समितियां:

- निवल संपत्ति सकारात्मक होनी चाहिए लेकिन विगत तीन वर्षों में दो से अधिक वर्ष तक परिचालनात्मक हानियां नहीं होनी चाहिए ।
- विगत 3 वर्षों में बिक्री, औसत उत्पादन की कम से कम 50% तक होनी चाहिए ।
- कार्यशील पूंजी/नकदी ऋण सीमा, वर्ष में कम से कम एक बार रोटेट की जानी चाहिए ।

(ग) **अलाभकारी समितियां** वे हैं जो उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आती है ।

***